

**बिहार सरकार
सहकारिता विभाग**

पत्रांक—/पटना, दिनांक—
03/नि. 10/02/2022 प्रशाखा 03-RCS

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.),
बिहार, पटना।

विषय :- सहकारिता विभाग के अंतर्गत अंकेक्षक सेवा संवर्ग के नवनियुक्त 212 अंकेक्षकों का 04 सप्ताहिक आवासीय प्रशिक्षण दिनांक-07.07.2025 से 02.08.2025 तक बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), गया जी में कराये जाने के उपरांत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना मद से प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 2,12,66,907/- (दो करोड़ बारह लाख छियासठ हजार नौ सौ सात रु०) मात्र के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

निदेशानुसार सहकारिता विभाग के अंतर्गत अंकेक्षक सेवा संवर्ग के नवनियुक्त 212 अंकेक्षकों का 04 सप्ताहिक आवासीय प्रशिक्षण दिनांक-07.07.2025 से 02.08.2025 तक बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), गया जी में कराये जाने के उपरांत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना मद से प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 2,12,66,907/- (दो करोड़ बारह लाख छियासठ हजार नौ सौ सात रु०) मात्र के भुगतान बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), गया जी को करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत मांग संख्या-09, मुख्य शीर्ष-2425 सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-003 प्रशिक्षण, उप शीर्ष-0102 विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान विस्तृत शीर्ष-20, अन्य प्रशासनिक व्यय विषय शीर्ष-03 प्रशिक्षण व्यय विपत्र कोड-09-2425000030102 राज्य योजना से विकलनीय होगी।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), गया जी से प्राप्त विपत्र के विरुद्ध स्वीकृत राशि का विपत्र BTC FORM-25 में तैयार कर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना में प्रस्तुत करेंगे और राशि की निकासी कर Bandhan Bank, Swarajpuri Road Branch, Gaya, Name of A/C Holder- Bihar Institute of Public Administration & Rural Development, A/C NO.- 50220029265768, IFSC CODE- BDBL0001543, में स्थानांतरित करेंगे। इसके लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-7245 दिनांक-26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे साथ ही राशि की निकासी एवं

व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

5. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है, किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या-03/नि० 10/02/2022 प्रशाखा-03-RCS के पृष्ठ-62/टि. पर दिनांक-13.08.2025 को प्राप्त है।

7. इस राशि की स्वीकृति सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या-03/नि० 10/02/2022 प्रशाखा-03-RCS के पृष्ठ-62/टि. पर दिनांक-14.08.2025 को प्राप्त है।

ह०/-

(अभय कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 302 / पटना, दिनांक 14/08/25

03/नि० 10/02/2022 प्रशाखा-03-RCS

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा बिहार, पटना) एवं सहायक निदेशक, Bihar Institute of Public Administration & Rural Development (BIPARD), गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सचिव के आशुलिपिक, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अपर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को अभिश्रव सहित/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक, कार्यालय निबंधक स०स०, बिहार, पटना/आईटी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि स्वीकृत्यादेश के आलोक में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि आवंटित की जाय।

14/08/2025

14.08.25
सरकार के अपर सचिव।